

2025/479

सिखीप  
96.2025

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
ईकबालसिंह बनाम अंग्रेजसिंह आदि  
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 272-वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
03.06.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 09.06.2025 को पेश हो।</p> <p>०८</p>	<p>ईकबालसिंह पञ्चमसिंह 06/06/25</p>
6.6.2025	<p>वकील वादी ने प्रार्थना - पत्र निकाल पेसी पेश करे पत्र - प्रजावनी को पेसी में लिया गया। वकुलार फर्दकेन उपखण्डा मुक्तिवादी कर। लप जरिये वकील सिन्धुपुरा उपखण्डा आकर दफ्तारल हिसा पेसा डिफा जिसे शाहिल फार्मल डिफा गण। प्रजावनी वरहे स्टेट जजक कार्टी-दालीक 9.6.2025 को पेसा हो।</p> <p>०८</p>	<p>पासासे करमजीतकोर पत्रावली Dyame found</p>
9.6.2025	<p>वकुलार फर्दकेन उपखण्डा स्टेट जजक प्रपत्र मुक्ति वरह मुनि मनी प्रजावनी का अवलोकन किया गया। प्रजावनी पर उपलब्ध सिक्काई कर। वादी मुक्ति वादी की सहमति के आधार पर वाद वादी डिफा डिफा जात है। मुक्तिवादी शरहित सिर्फ अलग से लिखाक जाय - शाहिल फार्मल डिफा जाके। प्रजावनी नम्बर से करम की जायक बाद तस्तीक तकलीफ जायका दालिल हिसात हो।</p> <p>०८</p>	